त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025

मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के प्रेस वार्ता दिनांक –21.06.2025 हेतु मुख्य बिन्दु

1. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

1- राज्य सरकार की अधिसूचना – दिनांक –21.06.2025

2- राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना– दिनांक –21.06.2025

3- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) की सूचना– दिनांक –23.06.2025

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र	25.06.2025 से 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	29.06.2025 से 01.07.2025 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक)	03.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	19.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
द्वितीय चक्र	––तदैव––	––तदैव––	––तदैव––	08.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	––तदैव––

नोटः–निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत हो जाने के फलस्वरूप राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहेगी।

2. **आदर्श आचरण संहिता** की प्रतियॉ आयोग की वेबसाईट www.sec.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
3. **पंचायत मतदाता सूची में नाम खोजे** एवं **पंचायत मतदाता सूची डाउनलोड** करने का विकल्प आयोग की वेबसाईट www.sec.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
4. **राज्य में 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों में विभिन्न पद/स्थानों का विवरणः–**

क्र0स0	पद/स्थान का नाम	विकास खण्डों की संख्या	कुल पद/स्थान जिनमें निर्वाचन होना हैः–
1	सदस्य, ग्राम पंचायत	89	55,587
2	प्रधान, ग्राम पंचायत		7,499
3	सदस्य, क्षेत्र पंचायत		2,974
4	सदस्य, जिला पंचायत		358
		कुल योगः–	**66,418**

(4) प्रदेश में कुल मतदान केन्द्रों की संख्याः– 8276

(5) प्रदेश में कुल मतदान स्थलों की संख्याः– 10529

(5) प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्याः–

(क) स्त्री मतदाताओं की कुल संख्याः– 23,10,996

(ख) पुरूष मतदाताओं की कुल संख्याः– 24,65,702

(ग) अन्य मतदाताओं की कुल संख्याः– 374

कुल मतदाताओं की संख्याः– 47,77,072

5. वर्ष 2019 एवं 2025 के मतदाताओं का तुलनात्मक विवरणः–

क्र0स0	2019 में मतदाताओं की संख्या		2025 में मतदाताओं की संख्या		मतदाताओं में बढ़ोतरी
1	स्त्री मतदाता	21,12,932	स्त्री मतदाता	23,10,996	198064
2	पुरूष मतदाता	22,07,347	पुरूष मतदाता	24,65,702	258355
3	अन्य मतदाता	–	अन्य मतदाता	374	374
	कुल योगः–	**43,20,279**		**47,77,072**	**4,56,793** (10.57% Increase)

6. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 में तैनात किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी/सुरक्षा कार्मिक/वाहनों की संख्याः–

क्र0स0	कार्मिक का विवरण	अनुमानित संख्या
1.	मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारियों की कुल संख्या (रिजर्व सहित)	11,849
2.	मतदान स्थल पर मतदान अधिकारियों की कुल संख्या (रिजर्व सहित)	47,910
3.	सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों (रिजर्व सहित)	450
4.	मतदान स्थानों पर लगने वाले सुरक्षा कार्मिकों की कुल संख्या (रिजर्व सहित)	35700
	कुल मानव संसाधन (Human Resources)	**95909**
5.	हल्के वाहन(रिजर्व सहित)	3,342
6.	भारी वाहन(रिजर्व सहित)	2,278
	कुल वाहन संसाधन (Vehicle Resources)	**5,620**

7. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 में तैनात किये जाने वाले कुल प्रेक्षकों की संख्याः–

(1) सामान्य प्रेक्षकों की संख्या– 55

आरक्षित प्रेक्षकों की संख्या– 12

कुल– 67

8. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 के चार पदों/स्थानों के उम्मीदवारों हेतु आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमाः–

क्र0स0	पद/स्थान का नाम	पूर्व में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा	वर्तमान में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा
1	सदस्य, ग्राम पंचायत	10,000	10,000
2	प्रधान, ग्राम पंचायत	50,000	75,000
3	सदस्य, क्षेत्र पंचायत	50,000	75,000
4	सदस्य, जिला पंचायत	1,40,000	2,00,000

नोटः–

(1) त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 में **चार पदों–सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत** का निर्वाचन है। अतः मतदाताओं की सुविधा के लिए तथा निर्वाचन के बाद मतगणना के समय स्थानवार/पदवार मतपत्र छाँटने के लिए मतपत्रों का मुद्रण अलग–अलग रंग के कागजों पर कराया जाता है, जो निम्न प्रकार है :–

क्र0स0	पद/स्थान का नाम	मतपत्र का रंग
1	2	3
1	ग्राम पंचायत सदस्य	सफेद
2	प्रधान	हरा
3	क्षेत्र पंचायत सदस्य	नीला
4	जिला पंचायत सदस्य	गुलाबी

(3) जनपद स्तर पर जब्ती/प्रवर्तन हेतु 03 टीमें गठित की जायेगी जिसमें एक टीम **जिला प्रशासन**, दूसरी टीम **पुलिस विभाग** और तीसरी टीम **आबकारी विभाग** की होगी जिनको अवैध मदिरा, मादक पदार्थों, नकदी एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन/उपहार आदि वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होगा। जब्ती एवं व्यय के अनुवीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैः–

- प्रत्येक जनपद में एक प्रभारी अधिकारी (व्यय) होगा, जो प्रतिदिन जनपद में की गयी जब्ती की रिपोर्ट जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) के माध्यम से आयोग को भेजेंगे।
- जिला निर्वाचन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे, कि प्रचार में Paid news प्रायोजित समाचार, Advertorial तथा Electronic Media पर प्रयोजित Survey आदि पर जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से नजर रखेंगे एवं ऐसे व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़े जाऐंगे।
- जब्ती की कार्यवाहियों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु पुलिस एवं आबकारी विभाग का एक–एक नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर तैनात रहेंगे, जिनके द्वारा जब्ती/व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रतिदिन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जायेगी।

9. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में **दिव्यांग/अक्षम मतदाता जो स्वतः चलने–फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें उनके घर से मतदान केन्द्र तक ले जाने और मतदान के पश्चात् निवास स्थान तक पहुँचाने के लिए पारिवारिक सदस्य को वाहन प्रयोग करने की छूट दी जायेगी तथा इसके सुविधाजनक आवागमन और मतदान की प्रकिया सुगम बनाने हेतु आवश्यक सुविधाएं आवश्कतानुसार सुनिश्चित करवायी जायेंगी।**
10. आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की **मतदाता सूचियों को डिजिटाईज कर** जन सामान्य हेतु आयोग की अधिकारिक वेबसाईट www.sec.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है।
11. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 के निर्वाचन में **सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के संबंध में मतदाताओं को जानकारी** देने हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्रों/घोषणा पत्रों को संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) द्वारा जिले की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
12. मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित किये जाने हेतु **मतदान एवं मतगणना कार्मिकों की तैनाती सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेण्डामाईजेशन प्रणाली से** की जायेगी।

13. निर्वाचन के दौरान **जनसामान्य हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित टोल–फ्री नम्बर एवं ई–मेल** जारी किया गया है।

- **टोल–फ्री नम्बर :– 18001804280**
- **ई–मेल :–secelectionuk@gmail.com**

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&